[13/2/2024] परिशिष्ट - "अ"
तारांकित 465

प्रश्न सं. [क्र. 465]

कार्यालय नगर परिषद मगरोनी जिला शिवपुरी म.प्र.

स.क्र./न.प./2023/1401 मगरोनी दिनांक 20/12/2023

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय
जिला - शिवपुरी म.प्र.

विषयः- टन्टी आदिवासी /भोना आदिवासी को पट्टा प्रदाय करने बावत्।

उपरोक्त बिषयांतर्गत निवेदन है कि टन्टी आदिवासी/भोना आदिवासी तहसील नरवर के ग्राम निजामपुर वर्तमान नगर परिषद मगरोनी के वार्ड क्रं.02 सिद्दपुरा मे शासकीय भूमि पर कच्ची झोपडी वनाकर निवासरत है टन्टी आदिवसी/भोना आदिवासी गरीब है एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का आवास हेतु पात्रता रखता है। किन्तु टन्टी आदिवासी /भोना आदिवासी के पास स्वमं की भूमि न होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नही दिया जा सका है ।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि टन्टी आदिवासी /भोना आदिवासी को उसके निवास स्थान शासकीय भूमि पर पट्टा प्रदान करने का कष्ट करें ताकि उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास प्रदान किया जा सकें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद मगरोनी जिला शिवपुरी म.प्र.

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

उपयंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.
भोपाल

S.D.M. Karera
for N/A P.I.
[illegible] 12/12/23

श्रीमान कलेक्टर महोदय,

कलेक्टर कार्यालय जिला शिवपुरी (म0प्र0)

विषय – मुझ प्रार्थी को सूचित किये बिना मेरे इन्दा आवास कुटीर में बने मकान को तोड़कर सुलभ शौचालय बनाये जाने तथा मेरी कुटीर में रखे समस्त सामान को खुर्द–बुर्द किये जाने बाबत्।

श्रीमान महोदय

सेवा में प्रार्थीया की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है –

यह कि मैं प्रार्थी टन्टी आदिवासी पुत्र श्री भोनाराम आदिवासी निवासी मगरौनी, तह0 नरवर जिला शिवपुरी म0प्र0 का स्थाई निवास होकर मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ।

यह कि मैं प्रार्थी अपने परिवारजनों के साथ मजदूरी के लिये शहर से बाहर गया हुआ था तभी अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) अनुभाग करैरा, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 656 / झूठा / 2023 / दिनांक 20.07.2023 को एक पत्र जारी करते हुए इन्दा आवास कुटीर को तोड़कर कॉम्पलेक्स बनाये जाने बाबत् आदेश पत्र जारी किया गया। उक्त इन्दा आवास कुटीर में मुझ प्रार्थी को कुटीर उपलब्ध कराई गई थी। उक्त कुटीर भोना आदिवासी के पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा इन्दा आवास कुटीर दी गई थी।

यह कि उक्त कुटीर नवघटित नगर परिषद के वार्ड नंबर 03 के अंतर्गत आता है। उक्त कुटीरों को तोड़कर वहांपर सुलभ शौचालय बनाया जा रहा है जिसकी हम लोगों द्वारा निर्माण को रोके जाने की मांग की गई थी तथा वर्तमान में न तो शुलभ शौचालय का निर्माण हो पाया है और न ही हमारे जो कुटीर बने हुए थे उन्हें अपूरा छोड दिया गया है जिसके कारण हम प्रार्थी अत्यंत परेशान हो रहे –है।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

उपयंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.
भोपाल

यह कि वर्तमान में शर्दीकाल शुरू हो चुका है जिसके चलते बिना छत के मकान मे रहना मुश्किल हो रहा है तथा हम प्रार्थी जैसे तैसे छत पर तिरपाल डालकर अपना जीवन यापन कर रहे है तथा कुछ समय उपरांत वर्षाकाल शुरू होने पर हम किस परिस्थिति मे रहेंगे वह ऊपर वाला ही जानता है। हम अपने इस दुखित जीवन से दुखित होकर उक्त आवेदन श्रीमान महोदय के समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ।

अतः श्रीमान महोदय से निवेदन है कि नगर परिषद मगरौनी मे दिये गये आदेश के अनुसार इन्दा आवास कुटीर के जो भवन सुनिश्चित किये गये थे उन्हें न तोड़कर सुलभ शोचालय कॉम्पलेक्स कही अन्यत्र बनाये जाने का आदेश देने की कृपा करे।

दिनांक – 12.12.2023

प्रार्थी

टन्टी आदिवासी पुत्र श्री भोनाराम आदिवासी
निवासी मगरौनी, तह0 नरवर जिला शिवपुरी म0प्र0

उपमंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.
भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग